भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-866

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के अन्तर्गत निधि जारी करने में विलंब

†866. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) उन राज्यों की सूची क्या है जिनके आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत अवसंरचना हेतु निधि जारी करने के प्रस्ताव अनुमोदन अथवा संवितरण हेतु लंबित हैं; और

(ग) क्या निधि जारी होने में विलंब के कारण वर्तमान में चल रही ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम के तहत निधि जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बिना किसी देरी के निधि जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य हासिल करें और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के लिए अनुकूलित कार्य योजनाओं के आधार पर एक परिणाम मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया है ताकि निधि जारी करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सके। आज की तिथि तक, वितरण अवसंरचना कार्यों के संबंध में किसी भी राज्य से कोई दावा इस मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

अब तक इस स्कीम के तहत जारी किया गया कुल केंद्रीय अनुदान लगभग 37,000 करोड़ रुपये है जो कुल संस्वीकृत जीबीएस का लगभग 38% है। वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरडीएसएस के तहत राज्यों को संस्वीकृत और जारी किया गया केंद्रीय अनुदान **अनुबंध** पर दिया गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 866

अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) में आरडीएसएस राज्य-वार संस्वीकृति (संचयी) एवं जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत जीबीएस (संचयी)	वित्त वर्ष 2023-24 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2024-25 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2025-26 में जारी निधि (दिनांक 28.11.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार	428	0	0	41
2	आंध्र प्रदेश	7,240	311	901	204
3	अरुणाचल प्रदेश	992	0	43	153
4	असम	4,107	635	769	816
5	बिहार	6,748	1,268	1,207	985
6	छत्तीसगढ़	3,217	178	304	382
7	दिल्ली	196	0	0	0
8	गोवा	243	15	0	26
9	गुजरात	5,538	507	670	454
10	हरियाणा	4,076	35	205	139
11	हिमाचल प्रदेश	2,561	6	80	459
12	जम्मू और कश्मीर	4,803	349	624	828
13	झारखंड	2,272	0	222	348
14	कर्नाटक	27	0	5	0
15	केरल	3,278	22	153	284
16	लद्दाख	788	79	0	3
17	मध्य प्रदेश	7,347	1,006	820	1,235
18	महाराष्ट्र	13,182	820	1,614	604
19	मणिपुर	602	20	58	48
20	मेघालय	1,195	51	146	98
21	मिजोरम	351	22	27	24
22	नागालैंड	479	1	10	43
23	पुडुचेरी	107	0	0	14
24	पंजाब	3,284	115	114	334
25	राजस्थान	12,902	531	1,094	821
26	सिक्किम	409	24	12	68
27	तमिलनाडु	9,139	97	448	0
28	तेलंगाना	72	2	0	34
29	त्रिपुरा	619	36	91	138
30	उत्तर प्रदेश	16,570	1,801	1,822	1,714
31	उत्तराखंड	2,444	11	116	483
32	पश्चिम बंगाल	6,423	221	601	49
कुल		**1,21,637**	**8,160**	**12,158**	**10,829**

****